

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक : जीविवि./परीक्षा/2013/ 335

दिनांक : 14/03/2013


प्रति,

प्राचार्य/प्राचार्या  
समस्त संबद्ध महाविद्यालय,  
जीवाजी विश्वविद्यालय,  
ग्वालियर (म.प्र.)

विषय: असंस्थागत छात्र/छात्राओं से अतिरिक्त शुल्क न लेने विषयक।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि ज्ञात हुआ है कि कुछ महाविद्यालयों द्वारा असंस्थागत छात्र/छात्राओं के रूप में परीक्षा आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त भी शुल्क ली जा रही है। इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में भी समय-समय महाविद्यालयों को निर्देशित किया गया है। कि शुल्क नियमानुसार ही ली जावे।

अतः समस्त प्राचार्य/प्राचार्या को पुनः निर्देशित किया जाता है कि छात्र/छात्राओं से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित/नियमानुसार शुल्क ही लिया जावे।

  
कुलसचिव